प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बिजनौर

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
मॉडर्न ऐरा पब्लिक स्कूल, बिजनौर।

पत्रांक- शि0स0-1/मान्यता/ 14091-93 /99-2000 दिनांक- 31/3/2000

विषय- सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0आई0 की मान्यता की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या -2762/15-13-91-4146/91 दिनांक 30-11-1991 द्वारा प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौउन्सिल फार दि इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखत शर्तें निर्धारित की गई हैं।

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा। शासनादेश संख्या -3593/15-7-93-1(78)/93 दिनांक 23-8-93 द्वारा संशोधन कर विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित करने की व्यवस्था की गई है।

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की मान्यता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन नई दिल्ली /कौंसिल फार इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।

5- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0मा0वि0 के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जाएगा।

शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि उक्त शर्तों को सम्बन्धित संस्थाओं की सोसाइटी के बाइलाज में उक्त प्रतिबन्धों को समाविष्ट किये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के आदेश निर्गत किये जायेंगे। सोसाइटी के बाइलाज में यह भी प्राविधान किया जाएगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जाएगा।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिये गये प्रत्येक बिन्दु का स्पष्ट उत्तर साक्ष्य सहित तीन-तीन प्रतियों में दिनांक 15-4-2000 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि निर्धारित ... 2, पर

Principal
Modern Era Public School
Mandawar Road, BIJNOR
246701 (U.P.)

Manager
Modern Era Public School
BIJNOR (U.P.)

तिथि तक आपके विद्यालय का उत्तर इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होता है तो आपके विद्यालय के सम्बन्ध में शासन/विभाग को अवगत करा दिया जाएगा और उसके परिप्रेक्ष्य में यदि आपके विद्यालय की मान्यता वापिस ली जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। प्रत्येक बिन्दु का उत्तर साक्ष्य सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

बिन्दु जिनकी सूचना देनी है।

1- विद्यालय सी0बी0एस0ई0अथवा आई0सी0एस0ई0 किससे मान्यता प्राप्त है? §मान्यता की मूल एवं फोटो प्रति संलग्न की जाए§
2- विद्यालय के की सोसाइटी के पंजीकरण की सत्य प्रतिलिपि।
3- विद्यालय प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के अधिकारी के नामांकन हुआ है या नहीं यदि हाँ तो उसका नाम अंकित करें।
4- विद्यालय में 10% स्थान अनु0जाति/अनु0जनजाति के मेधावी छात्रों के हैं अथवा नहीं उनकी संख्या एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें।
5- बिन्दु 4 में अंकित छात्रों से क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की भाँति निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है।
6- क्या विद्यालयों के अध्यापकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के समान वेतनमान/भत्ते दिये जा रहे हैं?
7- क्या विद्यालय में कर्मचारियों की सेवा शर्तें तैयार की गई हैं?
8- क्या विद्यालय के कर्मचारियों को माध्यमिक विद्यालयों के समान सेवानिवृत्ति लाभ दिये जा रहे हैं।

कृपया शासनादेश के अनुपालन में उक्त 8 बिन्दुओं की सूचना बिन्दुवार साक्ष्यों/फोटो प्रति सहित तीन-तीन प्रतियों दिनांक 15-4-2000 तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रपत्रों की जांच कर उच्च अधिकारियों को आपके विद्यालय की स्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके। यदि आपकी सूचना निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होती है तो विद्यालय की सूचना प्रतिकूल रूप में शासन/विभाग को भेज दी जाएगी और उसके कारण यदि आपके विद्यालय की मान्यता वापिस ली जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। अतः वरीयता के आधार पर उक्त सूचनाएँ भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

[signature]

§ मंगल प्रसाद सोनिया §
जिला विद्यालय निरीक्षक,
बिजनौर

पृ0सं0-वि0अ0-1/मान्यता/ 16 91-93 /99-2000 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि शिक्षा निदेशक§ माध्यमिक§ उ0प्र0 इलाहाबाद की सेवा में उनके अ0शा0पत्रांक-शिविर/10139-10240/99-2000 दिनांक 14-3-2000 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रतिलिपि संयुक्त शिक्षा निदेशक, मण्डल, मुरादाबाद को सूचनार्थ

जिला विद्यालय निरीक्षक
बिजनौर

[signature] 11/01/26

Principal
Modern Era Public School
Mandawar Road, BIJNOR
246701 (U.P.)

Manager
Modern Era Public School
BIJNOR (U.P.)